न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 120 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. भीखाराम पुत्र होथीराम 2. रतनी पत्नी होथीराम 3. किसनाराम पुत्र लिछमणाराम जाति मेगवालों का तला मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 4. दलु पुत्री चनणी पत्नी फगलुराम 5. बबरी पुत्री चनणी पत्नी फगलुराम जाति मेगवाल निवासी धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. शेराराम पुत्र चुतराराम का.मु. 1/1खेतुदेवी पत्नी शेराराम 1/2गुमनाराम पुत्र शेराराम 1/3गोरखाराम पुत्र शेराराम 1/4मोटाराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी मेगवालो का तला मांगता तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 2. गेनाराम पुत्र होथीराम 3. भारूराम पुत्र पुरखाराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का तला मांगता तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 4. पालु पुत्री चनणी पत्नी भंवराराम 5. गीता पुत्री चनणी पत्नी मनराराम 6. मीरा पुत्री चनणी पत्नी मनराराम 7. गजु पुत्री चनणी पत्नी डुंगराराम 8. जीवा पुत्री चनणी पत्नी लाखाराम के कायम मुकाम 8/1श्रवण पुत्र लाखाराम जाति मेगवाल निवासी धौरमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 9. श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 135/2015 बअनवान शेराराम बनाम लक्ष्मणा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गंगाराम विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—29.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कृषि भूमि मौजा मेघवालो का तला पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 433 रकबा 76.16 बीघा आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 432 रकबा 59.03 में से 1.02 बीघा रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिसों की तामिल कुन्निदा द्वारा व्यक्तिगत तामिल नहीं करवाई है नोटिसो की तामिल कुन्निदा द्वारा व्यक्तिगत तामिल नहीं करवाई है नोटिसों पर लेने से इन्कारी की रिपोर्ट है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांटगण तथा शेष रेस्पोडेंटस का रहवास मेघवालों का तला मे होना अंकित किया है जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उक्त प्रकरा में महिला पक्षकार अपने अपने ससुराल के गांव में आवास कर रही है जिसमें उतरदाता संख्या 4 पालु सीलगण में निवास करती थी उतरदाता संख्या 05 से 08 धोरीमन्ना में निवास करते थे जबकि तामिल कुन्निदा द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर उन्हे मेघवालो का तला मांगता के पते पर नोटिस चस्पा कर तामिल करना बताया है, ऐसी स्थिति में पक्षकारो को उक्त वाद पत्र की कभी भी जानकारी नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई है उसकी जानकारी अपीलांटगण को नहीं दी गई तथा हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 1 के साथ मिलावट कर, बिना मौके पर आये, बिना वास्तविक व भौतिक रूप से निरीक्षण किये ही गलत मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई तथा मौका रिपोर्ट में जो नया रास्ता प्रस्तावित किया गया है उक्त नये रास्ते की भूमि न तो निकटतम है तथा न ही सीधा रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा तथा मौका रिपोर्ट के इंतजार में पत्रावली चल रही थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 135/2015 बअनवान शेराराम बनाम लक्ष्मणा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

(प्रविष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर